न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 160/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

मुनेजा खातुन ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

खादिम अंसारी वगैरह ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

13-12-24

प्रथम पक्ष मुनेजा खातुन के आवेदन पर अंचल अधिकारी बगोदर के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार में अवस्थित निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत दिनांक 14.10.2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत करते हुए उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया।

मौजा- औरा, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह
खाता नं0- 145, प्लॉट नं0- 140 एवं 141, रकबा- 8 डी0
चौहद्दी : उ0- रास्ता, द0- कलाली, पू0- बुधु मियाँ, प0- निज मोकिर

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा।

प्रथम पक्ष के आवेदन अनुसार यह जमीन उनके पति धनपत मियाँ एवं खादिम अंसारी के नाम से अंचल कार्यालय के पंजी-2 के भाग सं0- 07, पृष्ठ सं0- 07 पर दर्ज है तथा भू-लगान रसीद वर्ष 2022 तक निर्गत है। दिनांक 21.07.2024 को द्वितीय पक्ष के सदस्यगण बाजबरन उक्त भूमि पर मकान बनाना आरंभ कर दिए जिस कारण विवाद उत्पन्न हुआ। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में Online Continous खतियान की छायाप्रति, एक ऑनलाइन भू लगान रसीद की छायाप्रति तथा एक नक्शा (नजरी) दाखिल करते है।

वही दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रथम पक्ष तथा द्वितीय

पक्ष आपस में सहोदर भाई के वंशज है। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद में भी द्वितीय पक्ष का नाम दर्ज है। द्वितीय पक्ष का आगे कहना है कि प्रथम पक्ष के पति धनपत मियां तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त 8 डी0 जमीन का बंटवारा 04 डी0 - 04 डी0 आपस में कर चुके है तथा उक्त घरैया बंटवारा के आधार पर अपने-अपने हिस्से में उभय पक्ष पक्का मकान बना कर निवास करते आ रहे है। द्वितीय पक्ष अपने कारण पृच्छा के साथ कुछ फोटोग्राफ संलग्न करते है।

प्रथम पक्ष आगे एक कारण पृच्छा दाखिल करते हुए कहते है कि उपरोक्त 04 डी0 के अतिरिक्त खतियानी जमीन में उनका $\frac{1}{2}$(आधा) डिसमिल जमीन का हिस्सा बनता है अर्थात उनका हिस्सा कुल 4.5 डिसमिल है जिस पर द्वितीय पक्ष कब्जा करना चाहते है।

अंचल अधिकारी बगोदर अपने जाँच प्रतिवेदन (पत्रांक 734 दिनांक 25.09.2024) में प्रतिवेदित करते है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे खतियान रैयती खाते की भूमि है तथा पंजी-II के आधार पर पृष्ठ सं0- 07, भोलुम नं0- 07 पर धनपत मियां वो खादिम अंसारी के नाम से जमाबन्दी कायम है।

उपरोक्त राजस्व कागजातों के अवलोकन विवेचन से मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि उभय पक्ष के मध्य का विवाद स्पष्ट रूप से बंटवारे (partition) से संबंधित है।

भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत बंटवारे (partition) से संबंधित विवाद का निपटारा नहीं किया जा सकता है। अत: प्रस्तुत वाद में किसी पक्ष के हित में कोई अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष वाद के निपटारे हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

उपरोक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

13-12-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

13-12-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.01.02 18:06:49 +05:30
Location: 192.168.1.11